

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

38/2023

एमएस : 2023/90

राकेशकुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई साकिन 12 एनआरडी ढाणी तहसील
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई साकिन 12 एनआरडी ढाणी तहसील
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. सुनीलकुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई साकिन 12 एनआरडी ढाणी तहसील
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. अनिल कुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई साकिन 12 एनआरडी ढाणी तहसील
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। --:प्रतिवादीगण
वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188-92ए-209 राज0 काश्त0 अधि0 1955
तारीख रजू 23.02.2023

पस्थितअधिवक्तागण

1. श्री रणवीरसिंह बिश्नोई अधि. वादी।
2. श्री रविन्द्रकुमार बिश्नोई अधि. प्रति.सं. 1 ता 3।

—: निर्णय :-

दिनांक : 26.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक 7 एनपीबी के खाता संख्या 113 मु.नं. 38 पं.नं. 145/323 के कि.नं. 3/1 में 0.114 है. नहरी तथा 0.013 है. खाला, कि.नं. 8/2, 13/1, 18/2 प्रत्येक में 0.126 है. नहरी कि0नं0 20 ता 22 सालम-सालम प्रत्येक कि.नं. 23/1 में 0.127 है. नहरी भूमि इस प्रकार इस मुरब्बा में 1.631 है. नहरी व 0.013 है. खाला व इसी खाता के मु.नं. 10 पं.नं. 146/319 के कि.नं. 12/2 में 0.127 है., 13/1 में 0.126 है. 18-19 सालम, 21/1 में 0.203 है. नहरी व 21/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता, 22/1 में 0.228 है. नहरी व 22/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता, 23/1 में 0.228 है. नहर व 23/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता इस प्रकार इस मुरब्बा में 1.418 है. नहरी व 0.075 है. खाला तथा कुल खाते का महायोग 3.137 है. नहरी, खाला व गै.मु. रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति. सं. 1 सुरजाराम को उपरोक्त कृषि भूमि उनके पिता श्री शंकरलाल से विरास्तन में प्राप्त हुई थीं। जिसका विरास्तन इन्तकाल, इन्तकाल रजिस्टर पटवार हल्का 5 एनपी के इन्तकाल सं. 154 के जरिये दर्ज किया गया है। सुरजाराम को उक्त कृषि भूमि उनके पिता श्री शंकरलाल से विरास्तन प्राप्त हुई थीं इस प्रकार वर्णितानुसार हिन्दू सहदायिकी परिवार की विरास्तन प्राप्त सम्पति है जिस पर जन्म से ही मुझ वादी का 1/4 हिस्सा बनता है इसलिए इस कृषि भूमि पर श्री सुरजाराम प्रतिवादी संख्या 1, सुनीलकुमार प्रतिवादी सं. 2, अनिलकुमार प्रतिवादी सं. 3 व मुझ वादी का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा अर्थात 1.581 है. कृषि भूमि बनता है। उक्त कृषि भूमि ही मुझ वादी के परिवार के जीवन-यापन का स्रोत है तथा इस कृषि भूमि के खुद के हिस्से पर काश्त कर अपना समय व्यतीत कर रहा हूं। प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य प्रतिवादीगण के साथ मिलकर मुझ वादी का हक व हिस्सा हड़प करने की नियत से दिनांक 10.02.2022 को प्रतिवादीगण एक राय होकर मुझ वादी के कब्जा काश्त में 1/4 हिस्सा से बेदखल करने का प्रयास किया, उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 व सुरजाराम को उनके पिता शंकरलाल से विरास्तन तौर पर प्राप्त हुई है। प्रतिवादीगण तेश में आकर एक स्वर में मुझे ऐलानिया कहा कि उक्त कृषि भूमि सुरजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसलिए आपका कोई हक-हकूक हीं है। बस यही तारीख मुखास्मत है, बिनाये दावा उक्त भूमि विरास्तन तौर पर



प्रतिवादी संख्या 1 सुरजाराम को प्राप्त हो जाने के रोज से मुझ वादी को प्राप्त है। उपरोक्त कृषि भूमि पर मुझ वादी का मेरे जन्म के रोज से ही हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति होने के कारण हक है इस कारण मैं मेरे खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी हूँ। साथ ही इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी हूँ कि प्रतिवादी संख्या 1 श्री सुरजाराम उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी अन्य को रहन-बैय नहीं करे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे मेरा 1/4 हिस्सा जो कि उपरोक्त कृषि भूमि में वाजिब कनता है, उसमें मैं किसी भी तरीके से प्रभावित होता होऊँ, इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या 4 राजस्थान सरकार कृषि मालिक है इसलिए आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हे बतौर प्रतिवादी स्थापित किया गया है। वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश है व अन्दर भियाद पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न प्रकार से फैसल व डिक्री सादिर फरमाया जावे कि वाके चक 7 एनपीबी के खाता संख्या 113 मु.नं. 38 पं.नं. 145/323 के कि.नं. 3/1 में 0.114 है. नहरी तथा 0.013 है. खाला, कि.नं. 8/2, 13/1, 18/2 प्रत्येक में 0.126 है. नहरी कि0नं0 20 ता 22 सालम-सालम प्रत्येक कि.नं. 23/1 में 0.127 है. नहरी भूमि इस प्रकार इस मुरब्बा में 1.631 है. नहरी व 0.013 है. खाला व इसी खाता के मु.नं. 10 पं.नं. 146/319 के कि.नं. 12/2 में 0.127 है., 13/1 में 0.126 है. 18-19 सालम, 21/1 में 0.203 है. नहरी व 21/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता, 22/1 में 0.228 है. नहरी व 22/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता, 23/1 में 0.228 है. नहर व 23/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता इस प्रकार इस मुरब्बा में 1.418 है. नहरी व 0.075 है. खाला तथा कुल खाते का महायोग 3.137 है. नहरी, खाला व गै.मु. रास्ता में उक्त कृषि भूमि में मुझ वादी के अधिकारों की घोषणा की जाकर उपरोक्त भूमि पर मुझ वादी का 1/4 भूमि का हक व हिस्सा घोषित कर खातेदार टिनेन्ट घोषित फरमाया जावे, तत्पश्चात भूमि का कब्जा तथा किस्म अनुसार विभाजन प्रस्ताव लिया जाकर राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन कर अमलदरामद करने का तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को प्रेषित किया

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 3 की तरफ से श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। इसी के साथ वादी एवं प्रतिवादीगण के जरिये अधिवक्तागण राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि हम राकेश कुमार पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई साकिन 12 एनआरडी तहसील रायसिंहनगर वादी एवं प्रति.सं. 1 सुरजाराम पुत्र शंकरलाल, प्रति.सं. 2 सुनीलकुमार पुत्र सुरजाराम, प्रति.सं. 3 अनिलकुमार पुत्र सुरजाराम प्रतिवादी है उक्त अनवान प्रकरण में मुझ वादी द्वारा चक 7 एनपीबी के खाता संख्या 113 मु.नं. 38 पं.नं. 145/323 के कि.नं. 3/1 में 0.114 है. नहरी तथा 0.013 है. खाला, कि.नं. 8/2, 13/1, 18/2 प्रत्येक में 0.126 है. नहरी कि0नं0 20 ता 22 सालम-सालम प्रत्येक कि.नं. 23/1 में 0.127 है. नहरी भूमि इस प्रकार इस मुरब्बा में 1.631 है. नहरी व 0.013 है. खाला व इसी खाता के मु.नं. 10 पं.नं. 146/319 के कि.नं. 12/2 में 0.127 है., 13/1 में 0.126 है. 18-19 सालम, 21/1 में 0.203 है. नहरी व 21/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता, 22/1 में 0.228 है. नहरी व 22/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता, 23/1 में 0.228 है. नहर व 23/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता इस प्रकार इस मुरब्बा में 1.418 है. नहरी व 0.075 है. गै.मु. रास्ता इस प्रकार कुल खाते का योग 3.137 है. नहरी मय खाला व गै.मु. रास्ता में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवायी जाकर 1/4 हिस्से की भूमि का खातेदार टिनेन्ट घोषित करवाने हेतु पेश किया गया था। यह कि हम पक्षकारान का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है मुताबिक राजीनामा तय पाया गया है कि:-

1. वादी राकेशकुमार एवं प्रत्येक प्रतिवादी सुरजाराम, सुनीलकुमार, अनिलकुमार को उसके 1/4 हिस्सा अर्थात 0.784 है. का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जावे।
2. प्रति. सं. 1 सुरजाराम अपने 1/4 हिस्सा भी अर्थात 0.784 है. भूमि पूर्व से ही वादी राकेशकुमार के कब्जा में है जिसके बदले में अन्य भूमि वाके चक 12 एनआरडी में एवं ढाणी पेटे प्रतिवादीगण सुरजाराम, सुनीलकुमार, अनिलकुमार को



उपरोक्त अधिकारी
रायसिंहनगर

- छोड़ी हुई है इसलिए हम मुकदमा पक्षकार आपसी सहमति से व लोक अदालत भावना से सुरजाराम प्रतिवादी सं. 1 के 1/4 हिस्से की भूमि राकेशकुमार वादी के पक्ष परित्याग करते हैं, इस प्रकार वादी राकेश कुमार को 2/4 हिस्सा अर्थात् 1.568 है. नहरी मय खाला मय गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जावे।
3. प्रतिवादी संख्या 2 सुनिलकुमार तथा प्रतिवादी सं. 3 अनिलकुमार का प्रत्येक को 1/4 हिस्सा आर्थत 0.784 है. नहरी मय खाला मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदार घोषित किया जावे।
 4. उपरोक्त राजीनामा अनुसार दावा डिक्री की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को आदेशित किया जावे।
 5. उपरोक्त खाता की समस्त कृषि भूमि को केनरा बैंक रायसिंहनगर से किसान क्रेडिट काड योजना के अन्तर्गत रहन रखकर ऋण लिया गया है जो प्रत्येक खातेदार के हिस्से पर यथावत रखा जावे। लिहाजा राजीनामा पेश कर अर्ज है कि पत्रावली पेशी में जी जाकर मुताबिक राजीनामा वाद वादी कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेशित करने की कृपा करें।
 3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दिनांक 20.05.2025 को प्रस्तुत राजीनामा दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर पर विवादग्रस्त भूमि का वाद पत्र हम स्वीकार करना उचित समझते हैं।

—:आदेश:—

1. अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि क्रे चक 7 एनपीबी के खाता संख्या 113 मु.नं. 38 पं.नं. 145/323 के कि.नं. 3/1 में 0.114 नहरी तथा 0.013 है. खाला, कि.नं. 8/2, 13/1, 18/2 प्रत्येक में 0.126 है. नहरी कि.नं. 1/1 में 0.127 है. खाला व इसी खाता के मु.नं. 10 पं.नं. 146/319 के कि.नं. 12/2 में 0.127 है., 13/1 में 0.126 है. 18-19 सालम, 21/1 में 0.203 है. नहरी व 21/2 में 0.25 है. गै.मु. रास्ता, 22/1 में 0.228 है. नहरी व 22/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता, 23/1 में 0.228 है. नहरी व 23/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता इस प्रकार इस मुरब्बा में 1.418 है. नहरी व 1.075 है. खाला तथा कुल खाते का महायोग 3.137 है. नहरी, खाला व गै.मु. रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। में से राकेश कुमार पुत्र सुरजाराम को 2/4 हिस्सा (सुरजाराम पुत्र शंकरलाल का 1/4 हिस्सा 0.784 है. दान पात्र के साथ) अर्थात् कुल 1.568 है. व प्रतिवादी संख्या 2 सुनिलकुमार तथा प्रतिवादी सं. 3 अनिलकुमार को 1/4 हिस्सा आर्थत 0.784 है. नहरी मय खाला मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड अमलदरामद किया जावे ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। वादी राकेशकुमार पुत्र श्री सुरजाराम दान-पात्र भूमि कुल 0.784 है भूमि के स्टाम्प ड्यूटी 23456/-रुपये स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील जावता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

नोट:- उक्त रकबा रहन मुक्त होने के बाद निर्णय की पालना हो

{सुपखण्ड अधिकारी (आर.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पट्टेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



{सुपखण्ड अधिकारी (आर.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पट्टेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

डिक्री व मुकदमेंद्वारा
(आदेश 20 रूल 6-7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर

बईजलास : सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)

38/2023

सीएमएस : 2023/90

1. राकेशकुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई साकिन 12 एनआरडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। -वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई साकिन 12 एनआरडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. सुनीलकुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई साकिन 12 एनआरडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. अनिल कुमार पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई साकिन 12 एनआरडी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। -प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88-188-92ए-209 राज0 काश्त0 अधि0 1955


-: निर्णय :-

दिनांक : 26.05.2025

बाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि-वादी के अधिवक्ता श्री रणवीरसिंह बिश्नोई, प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री रविन्द्र बिश्नोई प्रतिवादीगण की उपस्थिति में निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि :- चक 7 एनपीबी के खाता संख्या 113 गु.नं. 38 पं.नं. 145/323 के कि.नं. 3/1 में 0.114 है. नहरी तथा 0.013 है. खाला, कि.नं. 8/2, 13/1, 18/2 प्रत्येक में 0.126 है. नहरी कि.नं. 20 ता 22 सालम-सालम व कि.नं. 23/1 में 0.127 है. नहरी भूमि इस प्रकार इस मुरब्बा में 1.631 है. नहरी व 0.013 है. खाला व इसी खाता के गु.नं. 10 पं.नं. 146/319 के कि.नं. 12/2 में 0.127 है. 13/1 में 0.126 है. 18-19 सालम, 21/1 में 0.203 है. नहरी व 21/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता, 22/1 में 0.228 है. नहरी व 22/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता, 23/1 में 0.228 है. नहरी व 23/2 में 0.025 है. गै.मु. रास्ता इस प्रकार इस मुरब्बा में 1.418 है. नहरी व 0.075 है. खाला तथा कुल खाते का महायोग 3.137 है. नहरी, खाला व गै.मु. रास्ता दर्ज दर्ज रिकार्ड भूमि मे से राकेश कुमार पुत्र सुरजाराम को 2/4 हिस्सा कुल 1.568 है. व प्रतिवादी संख्या 2 सुनिलकुमार तथा प्रतिवादी सं. 3 अनिलकुमार को 1/4 हिस्सा अर्थात प्रत्येक को 0.784 है. नहरी मय खाला मय गैर मुमकिन रास्ता का खातेदार घोषित किया जाता है। निर्णय की पालना रकबा रहन मुक्त होने बाद राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।


डिक्री आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




उपखण्ड अधिकारी (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर रायसिंहनगर पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| 1.वाद पत्र के लिए स्टाम्पड्यूटी | 23456/- | 7.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | 8.अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प..... | | 9.फ्लोडर की फीस | |
| रूपयेपरफ्लोडर की फीस | | 10.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | |
| 4.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | 11.आदेशिका की तामील | |
| 5.कमिश्नर की फीस | | 12.कमिश्नर की फीस | |
| 6.आदेशिका की तामील | | | |
| जोड़ | 23456/- | जोड़ | |


उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर